न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 2/2013

चन्द्रप्रकाश पुत्र लक्ष्मीचन्द्र जाति कलाल निवासी मऊ तहसील मांगरोल — प्रार्थी

♠ बनाम ♠

01. किशोरी बाई पत्नि मथुरालाल
02. लेखराज पुत्र चतरा दत्तक पुत्र मथुरालाल
03. रामप्यारी पत्नि लेखराज

} जातिगण बैरवा निवासीगण ग्राम मऊ तहसील मांगरोल

04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री के0 के0 सोनी

वकील अप्रार्थीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 07.02.2013

निर्णय दिनांक : 14.02.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है, जिसके खाता संख्या 408 खसरा नं. 433 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 434 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 437 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 496 रकबा 1.36 है0, खसरा नं. 508 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 525/1443 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 557 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 1071 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 1074 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 1075 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 1076 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1078 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 1082 रकबा 1.12 है0, खसरा नं. 1084 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1085 रकबा 0.29 है0, खसरा नं. 1141 रकबा 1.80 है0, खसरा नं. 1294 रकबा 1.71 है0, खसरा नं. 1307 रकबा 3.61 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 11.46 है0 स्थित है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 से होती है। जिस पर प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान का कब्जा चला आ रहा है। यह कि उक्त आराजी पर सत्यनारायण, हेमराज, बृजमोहन, पृथ्वीराज, चन्द्रप्रकाश, गजेन्द्र पुत्रान लक्ष्मीचन्द्र, केलाश बाई पुत्री लक्ष्मीचन्द्र कोम कलाल निवासी ग्राम मऊ का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज है। उक्त सभी खातेदारान है और प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उत्तराधिकारी की हैसियत से खातें में दर्ज हो चुका है। और वर्तमान में प्रार्थी का नाम खातेदार की हेसियत से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी को आराजी खसरा नं. 1074 पारिवारिक विभाजन से प्राप्त हुई है। जिस पर प्रार्थी ने एक होल का निर्माण करा रखा है। तथा इस वाद में खसरा नं. 1074 ही विवादित है। प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जो परिशिष्ट "अ" है। यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 1074 पर अप्रार्थी नं. 1,2 व 3 जबरन अतिक्रमण कर मार्क "A B C D" पर मकान का निर्माण कर रहे है। वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि पर मार्क "E F F H" स्थान पर कच्चे घरों का निर्माण कर लिया है। अप्रार्थीगण ताकत के दम पर प्रार्थी के खाते की आराजी पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे है। यह कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के भूखण्ड पर इन्द्रा आवास योजना के

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

तहत निर्माण कार्य "A B C D" मार्क भूमि पर कर रहे है। जबकि योजनान्तर्गत प्रार्थी के भूखण्ड पर निर्माण की आज्ञा जारी नही की गई है, कथित पट्टा जो अप्रार्थीगण बताते है वह आराजी खसरा नं. 1119 का है जिस पर ही अप्रार्थीगण निर्माण कार्य करने को अधिकृत है। अप्रार्थीण पट्टे की भूमि के स्थन पर प्रार्थी के हक काश्त की भूमि पर जबरन अवैध निर्माण करने पर आमदा है ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी नं. 1, 2 व 3 ता फैसला वाद अस्थयी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 908 के खसरा नं. 1074 तथा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" मुताबिक मार्क " A B C D " पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे और ऐसा न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधि से करावे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.02.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 से 3 की ओर से भी कर्मवीर शर्मा अधिवक्ता उपस्थित हुए। अंतरिम बहस सुनी। बहस के आधार पर पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक दोनो पक्षो को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया। पत्रावली में दिनांक 3.4.2013 को जवाब सरकार (पटवारी हल्का रिपोर्ट) अप्रार्थी कम 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल फाईल है। उक्त जवाब में संलग्न पटवारी रिपोर्ट में ख. नं. 1074 एवं 1075 में किशोरीबाई बेवा मथुरा, लेखराज दत्तक पुत्र मथुरालाल, रामप्यारी बेवा लेखराज बैरवा निवासी मऊ ने खसरा नं. 1074/0.03, 1075/0.05 कुल 0.08 है0 भूमि पर कब्जा बताया गया। पत्रावली में वकील अप्रार्थी द्वारा 14.6.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटवारी रिपोर्ट पर आपत्ति एवं मौका कमिश्नर हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। जिस पर एडवोकेट लिहाज हुसैन अंसारी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर जाने हेतु तहरीर की गई । पत्रावली में दिनांक 6.4.2016 को मौका कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका कमिश्नर रिपोर्ट संबंधित संबंधित भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी की उपस्थिति में बनायी गयी। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि पटवारी के सीमाज्ञान के अनुसार किशोरी बाई का मकान खसरा नं. 1074 की जगह खत्म होने के बात खसरा नं. 959 पर बना हुआ है जो खसरा नं. 1074 की जगह से 14.50 मीटर छोडकर बना हुआ है जिसको नजरी नक्शा जो शामिल पत्रावली है, मे दर्शाया गया है। यह कि अप्रार्थी किशोरी बाई ने तीन कच्चे कमरे पूर्व की ओर बना रखे है जिको नजरी नक्शा में "A B C D" बिन्दु से दर्शाया गया है। यह कि "E F G H" बिन्दु के बीच पक्का कमरा बना हुआ है ।

वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकार ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 1074 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करने हेतु अप्रार्थी को अस्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है। खसरा नं. 1074 शामलाती खाता सं. 408 की भूमि है, जिस पर चंद्रप्रकाश काबिज काश्त है। इसकी पुष्टि जमाबंदी एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट से होती है। मुताबिक मौका कमिश्नर रिपोर्ट किशारी बाई अप्रार्थी कम 1 का मकान खसरा नं. 1074 की बजाय खसरा नं.

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

959 पर बना हुआ है। चूंकि प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी द्वारा जब किसी प्रकार का निर्माण ही नही किया है तो फिर प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सावित नही होता है।

2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि मौका कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खसरा नं. 1074 में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नही किया गया । अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः बहस वकील, राजस्व रिकोर्ड, मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं उक्त तीनो विन्दुओ के विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल (राज०)

Scanned with CamScanner